भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2520

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

नई पेंशन योजना

2520. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और सरकार के द्वारा कितने-कितने प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ राज्यों में इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में मात्र 1000, 1500 और 2000 रुपये की राशि मिल रही है जो इस उम्र में उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन के रूप में न्यूनतम राशि निर्धारित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा वित्तीय रूप से सम्पोषणीय तरीके से प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से छोटी बचत को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में चैनेलाइज करने के लिए निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के माध्यम से आरंभ किया गया था। इसे दिनांक 1.1.2004 से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और सभी नागरिकों के लिए भी इसे स्वैच्छिक आधार पर दिनांक 1.5.2009 से लागू किया गया है। भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के अंशदान को पूर्व के वेतन + डीए के 10% से बढ़ाकर वेतन + डीए का 14% करना, जबकि कर्मचारियों के अंशदान को मौजूदा वेतन+डी.ए. का 10% ही रखना अभिदाताओं के लिए पेंशन निधि और निवेश पद्धति के विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता, एनपीएस में जमा न किए गए या देरी से जमा किए गए अंशदान के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर छूट और देय राशि को एकमुश्त आहरित करने के लिए कर छूट की सीमा को पूर्व के 40% से बढ़ाकर 60% करना ताकि आहरित की गई पूरी राशि को आयकर से छूट प्राप्त हो, शामिल हैं।

दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कॉरपोरेट सहित एनपीएस के अंतर्गत आनेवाले अभिदाताओं की कुल संख्या 1,06,69,257 हैं।

(घ) से (च): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 20 (2) (छ) के अनुसार, अंशदानों पर प्रतिलाभ बाज़ार सम्बद्ध है। एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पीएफआरडीए के निवेश संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन अंशदानों का पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा विवेकपूर्वक निवेश किया जाता है और संचित कॉर्पस में चक्रवृद्धि वृद्धि होती है।

अधिवर्षिता पर योजना से बाहर निकलने पर संचित कॉर्पस कर-मुक्त होता है। संचित पेंशन राशि का 60% एक-मुश्त दे दिया जाता है और शेष 40% पेंशन राशि की वार्षिकी की जाती है। अभिदाता उच्चतर पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए वार्षिकी खरीदने हेतु कॉर्पस की उच्चतर प्रतिशतता (अधिकतम 100% तक) का उपयोग कर सकता है।

संचित कॉर्पस, जिससे अभिदाता आवधिक पेंशन के लिए वार्षिकी खरीदता है, का निर्धारण कई घटकों के द्वारा होता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :-

- मासिक अंशदानों का आकार
- अवधि, जिसके लिए अंशदान किया जाता है
- जिस अवधि के लिए राशि निवेश की गई है
- चयनित निवेश पद्धति
- सेवा के दौरान यदि कोई आंशिक आहरण किया गया हो

वर्ष 2019 में, सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन निधि और निवेश पद्धति का चयन करने की अनुमति दी थी ताकि अपेक्षित उच्चतर पेंशन भुगतान के लिए निवेश पर उच्चतर प्रतिलाभ प्राप्त हो सके।

*****